

अध्याय-चतुर्थ



अध्याय - चतुर्थ



प्रदत्तों का सकलन एवं विश्लेषण

4.0 इस अध्याय में अध्ययन हेतु सकलित आकड़ों को सारिणीबद्ध कर उद्देश्यों अनुसार उनका विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

4.1 उच्च प्राथमिक शाआलो में शारीरिक शिक्षक का पद तथा नियुक्ति

शाला के प्रकार	कुल शालाएँ	स्वीकृत पद	नियुक्ति
शा उ प्रा शा	8	8	0
अशा उ प्रा शा	8	8	7

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट होता है कि शासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में शारीरिक शिक्षक का पद होते हुए भी शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति नहीं है अशासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में शारीरिक शिक्षक का पद आठ शालाओं में है और सात शालाओं में शारीरिक शिक्षक नियुक्ति हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पेज नंबर 19 में कहा गया है कि शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी।

शिक्षार्थियों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में, उच्च प्राथमिक स्तर पर शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा अति महत्वपूर्ण होती है। स्वास्थ्य शिक्षा में, शिक्षार्थियों में स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्याओं, सुरक्षा उपायों, पोषण सम्बन्धी समस्याओं प्रथम उपचार, स्वच्छता और प्रदूषण के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तथा खेल क्रियाओं को विधिवत तरीके से करवाने के लिए शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति होना आवश्यक है।

पूर्व में किये गये किसी शोध-कार्य में इस बिन्दु हेतु जानकारी उपलब्ध नहीं हुई, इसलिए वर्तमान में किये गये अध्ययन की चर्चा हेतु आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।



शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति के बिना शालेय स्वास्थ्य एव शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। बच्चों के स्वास्थ्य एव शारीरिक विकास के लिए शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति अवश्य होना चाहिए।

अतः शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति की स्थिति अशासकीय शालाओं में अच्छी है।


4.2 उच्च प्राथमिक शालाओं में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों की योग्यता

शाला के प्रकार	कार्यरत शारि.शि.	शारि.शि.डिप्लोमा	शारि शि डिग्री
शा उ प्रा शा	0	0	0
अशा उ प्रा शा	7	4	3

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि अशासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में शारीरिक शिक्षक की योग्यता चार शालाओं में शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा धारक शिक्षक है। और तीन शालाओं में शारीरिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त शारीरिक शिक्षकों की योग्यता है।

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद अधिगम प्रक्रिया शिक्षार्थियों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षार्थी के सम्पूर्ण स्वास्थ्य मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के सम्बन्ध में बाह्यनीय समझ, दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने में सहयोग देने के लिए योग्य शारीरिक शिक्षक का होना अतिआवश्यक है। योग्य शिक्षक ही स्वास्थ्य एव शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो सकते हैं।

शासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में तो शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति नहीं है। और शाला के अन्य शिक्षक ही इस कार्य को करवाते हैं। अशासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में योग्य शारीरिक शिक्षक नियुक्त है।



अत इन शालाओ मे शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति शासकीय शालाओ की अपेक्षा उच्छी है ।

43 उ प्रा शा मे शारीरिक शिक्षा के लिए बजट की उपलब्धि, पर्याप्तता तथा अपर्याप्तता

शाला के प्रकार	कुल शालाए	बजट उपलब्धता	बजट पर्याप्तता	बजट की अपर्याप्तता
शा उ प्रा शा	8	8	2	6
अशा उ प्रा शा	8	8	5	3

शोधकर्ता ने सभी आठ शासकीय तथा आठ अशासकीय उच्च प्राथमिक शालाओ मे जाकर प्रश्नावली द्वारा पता लगाया कि उच्च प्राथमिक शालाओ मे स्वास्थ्य एव शारीरिक शिक्षा के लिए कितने बजट का आवंटन किया जाता है ।

बजट शाला के विद्यार्थियों की सख्या पर निर्भर करता है कि जितनी सख्या शालाओ मे विद्यार्थीओ की होती है उसी के हिसाब से बजट शालाओ को मिलना चाहिए । और सभी खेल क्रियाओ को ध्यान मे रखते हुए बजट का आवंटन किया जाता है ।

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि सभी आठ शासकीय शालाओ मे बजट उपलब्ध है । केवल दो शासकीय शालाओ मे बजट पर्याप्त है और छ शासकीय शालाओ मे बजट अपर्याप्त है ।

अशासकीय सभी आठ शालाओ मे स्वास्थ्य एव शारीरिक शिक्षा के लिए बजट उपलब्ध है और पाच अशासकीय शालाओ मे बजट पर्याप्त है तीन शालाओ मे अपर्याप्त है ।

शासकीय शालाओ मे बजट

एक शासकीय उच्च प्राथमिक शाला मे 606 विद्यार्थियों की सख्या है और वहा 1500/- रु प्रतिवर्ष स्वास्थ्य एव शारीरिक शिक्षा के लिए दिया जाता है । दूसरी शाला मे

500 विद्यार्थियों की संख्या है और 1000/- रू प्रतिवर्ष शारीरिक शिक्षा हेतु दिया जाता है तीसरी शाला में 650 विद्यार्थियों की संख्या है और वहां पर 1300/- रू स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए बजट है।

चौथी शाला में 700 विद्यार्थियों की संख्या है और 2200/- रू स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए बजट है।

पाचवी शाला में 350 विद्यार्थियों की संख्या है और वहां स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए 700/- रू दिये जाते हैं।

छठवी शाला में 700 विद्यार्थियों की संख्या है और वहां क्रीडा निधि से 40% बजट स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए दिया जाता है।

सातवी शाला में 663 विद्यार्थियों की संख्या है और वहां 1326/- रू स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए दिया जाता है।

आठवी शाला में 500 विद्यार्थियों की संख्या है और 1000/- रू प्रतिवर्ष शारीरिक शिक्षा हेतु दिया जाता है

अशासकीय शालाओं में बजट


एक शाला में 130 विद्यार्थियों की संख्या है। और वहां पर 3000/- रू स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए बजट है।

दूसरी शाला में 1100 विद्यार्थियों की संख्या है। और वहां पर 6000/- रू प्रतिवर्ष स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए दिया जाता है।

तीसरी शाला में 850 विद्यार्थियों की संख्या है और 7000/- रू स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए दिया जाता है।



निरन्तर



चौथी शाला जिसमे 450 विद्यार्थियों की संख्या है और 2000/- रु स्वास्थ्य एव शारीरिक शिक्षा के लिए दिया जाता है।

पांचवी शाला मे 812 विद्यार्थियों की संख्या है और 5000/- रु वहां स्वास्थ्य एव शारीरिक शिक्षा के लिए बजट दिया जाता है।

छठवी शाला मे 500 विद्यार्थियों की संख्या है और 5000/- रु प्रतिवर्ष स्वास्थ्य एव शारीरिक शिक्षा के लिए दिया जाता है।

सातवी शाला मे 400 विद्यार्थियों की संख्या है और 5000/- रु शारीरिक शिक्षा के लिए बजट दिया जाता है।


आठवी शाला मे 500 विद्यार्थियों की संख्या है और 4000/- रु स्वास्थ्य एव शारीरिक शिक्षा के लिए बजट दिया जाता है।

अधिकतर अशासकीय शालाओ मे बजट पर्याप्त है इसका मुख्य कारण है कि इन शालाओ मे बच्चो से अधिक फीस जी ली जाती है। शासीय शालाओ मे नाम मात्र की फीस ली जाती है। इसलिए शारीरिक शिक्षा के लिए पर्याप्त बजट शासकीय शालाओ में नहीं मिलता है।

अत शासकीय शालाओ मे बजट अपर्याप्त है। और अशासकीय शालाओ मे बजट पर्याप्त है।

4.4 शारीरिक शिक्षा संबंधी गतिविधिया एव खेलों के लिए समय सारिणी में स्थान

शाला के प्रकार	कुल शालाएं	समय सारिणी मे स्थान	समय अवधि
----------------	------------	---------------------	----------



उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि समय सारिणी में स्थान सभी आठ उच्च प्राथमिक शासकीय शालाओं में और सभी आठ उच्च प्राथमिक अशासकीय शालाओं में दिया गया है।

शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों के लिए समय दो शासकीय शालाओं में तीस मिनट का समय दिया जाता है छ शालाओं में पैंतालीस मिनट का समय दिया जाता है।

अशासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों के लिए एक शाला में तीस मिनट का समय दिया जाता है, पांच शासकीय शालाओं में पैंतालीस मिनट का समय दिया जाता है और दो शालाओं में साठ मिनट का समय दिया जाता है।

आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। मानसिक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर करता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास निवास करता है दोनों को ही एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। आज के बच्चे भावी राष्ट्र के नागरिक हैं इसलिए शाला की समय सारिणी में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए पर्याप्त समय देकर बच्चों के शारीरिक दोषों को दूर कर सकते हैं तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अच्छी आदतों का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं।

4.5 उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रीडा स्थल की उपलब्धता एवं आकार

शाला के प्रकार	कुल शालाएँ	क्रीडा स्थल की उपलब्धता	क्रीडा स्थल के आकार			
			शा उ प्रा शा		अशा उ प्रा शा	
शा उ प्रा शा	8	8	1	80 X 70 मी	2	60 X 50 मी.
			3	50 X 50 मी	1	60 X 90 मी.
अशा उ प्रा शा	8	8	1	80 X 60 मी	2	50 X 50 मी.
			2	50 X 60 मी.	2	50 X 40 मी.

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि सभी आठ शासकीय तथा आठ अशासकीय शालाओ में क्रीडा स्थल उपलब्ध है। शासकीय एव अशासकीय शालाओ के पास क्रीडा स्थल कुछ सीमा तक पर्याप्त है जिस पर विभिन्न खेलो जैसे फुटबाल, हॉकी, क्रिकेट आदि खेल क्रियाओ से खेल प्रशिक्षण एव खेल अभ्यास करवाया जा सकता है।

46 उच्च प्राथमिक शालाओं में प्रतिवर्ष होने वाली खेल स्पर्धाओ का आयोजन

खेल स्पर्धाओ	शा.उ प्रा शा.	अशा उ प्रा शा
का आयोजन		
फुटबाल	0	0
रस्सी कूट	3	4
गोला फेक	2	6
हॉकी	0	0
शतरज	1	3
बैडमिंटन	2	5
दौड-कूद	8	8
खो-खो	8	8
कबड्डी	5	6
क्रिकेट	0	0
कैरम	0	2
जूडो	0	4
कुश्ती	2	4



उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि शासकीय शालाओ में फुटबाल, हॉकी, क्रिकेट, कैरम, जूडो आदि खेलो को खेल स्पर्धाओ के आयोजन में नहीं रखा जाता है क्योंकि फुटबाल को छोड़कर इन खेलो की खेल सामग्री शासकीय शालाओ में अपर्याप्त है। दौड-कूद, खो-खो, कबड्डी की स्पर्धाएँ शासकीय शालाओ में करवायी जाती हैं।

अशासकीय शालाओ मे भी फुटबाल, हॉकी और क्रिकेट की स्पर्धाओ का आयोजन नही किया जाता क्योकि अशासकीय शालाओ के क्रीडा स्थल मे खेल सिखाने के लिए तो खिलाये जा सकते है परन्तु इनमे खेल स्पर्धाओ का आयोजन नही किया जा सकता। अशासकीय शालाओ मे बैडमिटन, (ऐथलेटिक्स) दौड-कूद, खो-खो, कबड्डी आदि खेलो की स्पर्धाओ का आयोजन किया जाता है।

अत शासकीय तथा अशासकीय शालाओ मे सभी खेलो की स्पर्धाओ का आयोजन नही किया जाता है। शालाओ मे सभी खेलो की खेल स्पर्धाओ का आयोजन होना चाहिए सभी खेलो की खेल स्पर्धाए करवाने से सभी खेलो की प्रतिभाए उभर कर आयेगी।

4.7 उच्च प्राथमिक शालाओ मे मैदानी तथा आतरिक खेलो की व्यवस्था

बाहरी खेलो की व्यवस्था	शाला के प्रकार		आतरिक खेलो की व्यवस्था	शाला के प्रकार	
	शा.उ प्रा.शा	अशा.उ प्रा.शा		शा उ	अशा उ
खो-खो	8	8	कैरम	3	4
फुटवाल	8	8	शतरज	1	4
दौडकूद	8	8	जूडो	1	5
हॉकी	0	6	कुस्ती	5	6
कब्बडी	5	5	बैडमिटन	2	7
क्रिकेट	0	6	टेबिल टेनिस	0	1
बास्केटवाल	0	4			
गोलाफेक	8	7			
रस्सी कूद	8	8			

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि शासकीय उच्च प्राथमिक शालाओ मे मैदानी खेलो मे खो-खो, फुटबाल, दौड-कूद, कबड्डी, गोला फेक और रस्सी कूद की व्यवस्था है। आतरिक खेलो की व्यवस्था शासकीय शालाओ मे नही है।

अशासकीय उच्च प्राथमिक शालाओ मे मैदानी खेलो मे खो-खो, फुटबाल,



दौड़-कूद, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट गोला फेक, रस्सीकूद आदि सभी खेलों की व्यवस्था है।

आंतरिक खेलों में कैरम, शतरज, जूडो, कुश्ती, बैडमिंटन आदि की व्यवस्था है।

सामान्य रूप से देखने में आता है कि अशासकीय शालाओं में आने वाले बच्चों के पालक बच्चों पर अधिक व्यय कर सकते हैं। शाला के अतिरिक्त भी वे गतिविधियों पर व्यय करते हैं। तथा अशासकीय शालाओं में उन खेलों की भी व्यवस्था है जिन पर खर्चा तुलनात्मक दृष्टि से अधिक होता है।

सारणी क्र 47 को देखने से पता चलता है कि हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबाल, शतरज, जूडो, बैडमिंटन, कैरम आदि खेल शासकीय शालाओं में नहीं खिलाये जाते किन्तु अशासकीय शालाओं में अधिकतर हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबाल, शतरज, जूडो, बैडमिंटन, कैरम आदि खेलों का आयोजन किया जाता है।

अतः शासकीय शालाओं की तुलना में अशासकीय शालाओं में मैदानी तथा आंतरिक खेलों की व्यवस्था पर्याप्त है। मैदानी खेलों में खो-खो और दौड़-कूद, गोला फेक और रस्सी कूद अधिक खेले जाते हैं।



48 उच्च प्राथमिक शालाओ में विद्यालय वार्षिकोत्सव के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियां

गतिविधियो के नाम	शा.उ.प्रा शा.	अशा.उ प्रा.शा
खो-खो	6	7
फुटबाल	1	4
क्रिकेट	0	5
हॉकी	0	1
कबड्डी	5	5
बैडमिंटन	0	1
ऊची कूद	6	7
गोला फेक	6	5
कैरम	0	2
शतरज	0	1
जूडो	0	5
रस्सी कूद	5	4
दौड-कूद	8	8
कुश्ती	2	5

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि शासकीय उच्च प्राथमिक शालाओ में विद्यालय वार्षिकोत्सव में खो-खो, कबड्डी, ऊची कूद, गोला फेक, रस्सी कूद, और दौड-कूद आदि खेलो को रखा जाता है। क्रिकेट, हॉकी, शतरज, जूडो जैसे विख्यात खेलो को नही रखा जाता क्योकि इन खेलो की खेल सामग्री शासकीय उच्च प्राथमिक शालाओ में नही है।

अशासकीय उच्च प्राथमिक शालाओ में विद्यालय वार्षिकोत्सव में खो-खो, कबड्डी, ऊची कूद, गोला फेक, क्रिकेट, जूडो, कुश्ती और दौड-कूद को रखा जाता है।



49 उच्च प्राथमिक शालाओ मे खेल सामग्री की उपलब्धता एवं आयोजित की जाने वाली


क्रियाए


उपलब्ध सामग्री	शा.उ.प्रा शा.	अशा उ.प्रा.श.	आयोजित की जाने वाली खेल क्रियाएँ खेल का नाम	श.उ. प्रा.शा	अशा उ. प्रा शा.
खेल का नाम					
फुटवाल सबधित	8	8	फुटवाल	7	8
क्रिकेट "	1	6	क्रिकेट	0	6
बैडमिटन "	3	7	बैडमिटन	3	7
हॉकी "	0	6	हॉकी	0	6
बालीवाल "	2	3	बालीवाल	2	3
कैरम "	3	4	कैरम	3	3
शतरज "	1	4	शतरज	0	2
टेबिल टेनिस,,	0	1	टेबिल टेनिस	0	1
बास्केटबाल "	0	4	बास्केटबाल	0	3
गोला फेक "	8	8	गोला फेक	6	6
रस्सी कूद "	8	8	रस्सी कूद	8	8

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि शासकीय उच्च प्राथमिक शालाओ मे फुटबाल, गोला फेक, रस्सी कूद की खेल सामग्री है तथा क्रिकेट, हाकी, बास्केटवाल शतरज आदि खेलो की खेल सामग्री उपलब्ध नही है इसलिए इन खेलो की क्रियाए शासकीय शालाओ मे नही करवायी जाती।

जबकि अशासकीय उच्च प्राथमिक शालाओ मे सभी खेलो की खेल सामग्री उपलब्ध है। इसलिए वहा सभी खेलो की खेल क्रियाए करवायी जाती है।

विद्यार्थी 1987 ने बिहार के गया जिले मे हुए शोधकार्य माध्यमिक शासकीय एव अशासकीय शालाओ मे स्वास्थ्य एव शारीरिक शिक्षा की सुविधाओ का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन मे भी यह पाया गया था कि अशासकीय शालाओ की अपेक्षा शासकीय शालाओ मे खेल सामग्री अपर्याप्त है। और आज भी अशासकीय शालाओ की तुलना मे शासकीय शालाओ मे खेल सामग्री अपर्याप्त है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमो की उचित व्यवस्था के लिए इससे सम्बधित उपकरणो का





होना आवश्यक है। प्रत्येक शालाओ मे सभी खेलो की खेल सामग्री उपलब्ध होना चाहिए जिससे बच्चे को सभी खेलो की खेल क्रियाओ का ज्ञान प्रदान किया जा सके।

4.10 उच्च प्राथमिक शालाओ में स्वास्थ्य परीक्षण की अवधि तथा शारीरिक स्वच्छता सम्बन्धी जाच जानकारी

शाला के प्रकार	स्वास्थ्य परीक्षण अवधि		शारि. स्वच्छता सम्बन्धी जाच	
	वर्ष मे एक बार	वर्ष मे दो बार	सप्ताह मे	माह मे
शा उ प्रा शा	8	0	3	5
अशा उ प्रा शा	5	3	6	2

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि शासकीय उच्च प्राथमिक शालाओ मे छात्रो का स्वास्थ्य परीक्षण वर्ष मे एक बार ही करवाया जाता है। अशासकीय शालाओ मे भी अधिकतर शालाओ मे एक बार ही छात्रो का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है।

शारीरिक स्वच्छता सम्बन्धी जाच शासकीय शालाओ मे माह मे की जाती है। और अशासकीय शालाओ मे छात्रो की स्वच्छता सम्बन्धी जाच सप्ताह मे की जाती है।

4.11 उच्च प्राथमिक शालाओ मे शारी, शिक्षा का मूल्याकन मापन तथा छात्रो के ग्रुप का आधार

शाला के प्रकार	मूल्याकन/मापन		छात्रो के ग्रुप का आधार	
	गुणात्मक	सख्यात्मक	कक्षा	आयु
शा उ प्रा शा	5	3	7	1
अशा उ प्रा शा	6	2	6	2

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि पाच शासकीय शालाओ मे छात्रो का मूल्याकन के लिए गुणात्मक मापन किया जाता है। और तीन शालाओ मे मूल्याकन के लिए सख्यात्मक मापन किया जाता है। अशासकीय छ शालाओ मे मूल्याकन के लिए गुणात्मक मापन किया जाता है और दो शालाओ मे सख्यात्मक मापन किया जाता है।

छात्रो के ग्रुप का आधार शासकीय तथा अशासकीय शालाओ मे कक्षा के आधार पर किया जाता है आयु के आधार पर नहीं किया जाता है।

इस अध्ययन मे यह एक अच्छी बात देखने मे आयी है कि अधिकतर शासकीय

तथा अशासकीय शालाओ मे शारीरिक शिक्षा का मूल्याकन के लिए गुणात्मक मापन किया जाता है।


छात्रो के ग्रुप का आधार शारीरिक शिक्षा मे आयु के अनुसार होना चाहिए।

4.12 विद्यालय मे उपलब्ध सुविधाए

सुविधाए	शा उ. प्रा शा.	अशा. उ. प्रा. शा.
पीने का पानी	7	8
अलग-अलग शौचालय	8	8
शाला भवन की स्वच्छता	5	7
प्रकाश व्यवस्था	5	6
खिडकिया	8	8
सफेदी	3	6
रोशनदान	8	8
क्रीडा स्थल सफाई	4	7
पखे	3	6
कूडादान	2	6
विद्यार्थी बैठते है कुर्सी पर	0	7
कचरा नष्ट किया जाता है जलाकर	5	5
फेरी वाले खाने की वस्तुए ढकते है	2	5

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि शासकीय तथा अशासकीय शालाओ मे पीने का पानी, बालक-बालिकाओ के लिए अलग-अलग शौचालय, शाला भवन की स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, खिडकिया, रोशनदान, सफेदी आदि की व्यवस्था है। शासकीय शालाओ मे पखे व कूडेदान और क्रीडा स्थल की सफाई की व्यवस्था नही है शासकीय अशासकीय शालाओ मे कचरा जलाकर नष्ट किया जाता है जो कि अच्छी बात है। इससे रोगो के कीटाणु नही पनप पाते है।

किन्तु शासकीय शालाओ मे कूडेदान की व्यवस्था न होने से बच्चे कचरा कही भी फेक देते है। अत शालाओ मे कूडेदान की व्यवस्था होनी चाहिए।





स्वास्थ्य परीक्षण

स्कूल के अधिकारियों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करे विद्यार्थियों के नेत्र, श्रवण, रीड की हड्डी की विकृति, सुषुम्ना विकृति को भी दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, कागज व स्याही, पढने की सामग्री, ब्लैक बोर्ड और चॉक का प्रयोग भी ऐसा हो जिससे छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े। शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होने के साथ ही सभी छात्रों की जाच की जानी चाहिए। यदि किसी छात्र में कोई दोष हो तो उसका पता करके इसकी जानकारी प्राचार्य तथा उसके माता-पिता को सूचना देनी चाहिए और उसका रिकार्ड शाला तथा डॉक्टर दोनों के पास होना चाहिए।

छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य की परीक्षा नियमित रूप से होनी चाहिए। प्रथम चरण में डॉक्टर छात्रों के कद और भार का निरीक्षण करे। इस तरह वह छात्रों के तुलनात्मक भार का पता लगा सकता है लम्बे व छोटे कद का पता लगा सकता है। छात्रों के दौड़ने, लिखने, खड़े होने और बैठने के ढंग का भी ध्यान रखना चाहिए।

शारीरिक स्वच्छता

इसके अतिरिक्त अध्यापक छात्रों की निजी स्वच्छता जैसे दात, नाखून, हाथ, बाल, आख, चमड़ी, शरीर और वस्त्रों की सफाई का निरीक्षण कर सकता है। वह उनके चर्म रोगों जैसे दाद, खुजली और छाले आदि का पता लगा कर उचित सलाह प्रदान कर सकता है।

स्वास्थ्य लेखा

शाला को एक रजिस्टर बनाना चाहिए जिसमें प्रत्येक छात्र के भार, आकार, दृष्टि, श्रवण, छाती के नाप का उल्लेख हो छात्रों की बीमारियों का उल्लेख हो। इस तरह छात्र को एक कार्ड दिया जा सकता है और इसकी प्रतिलिपि रजिस्टर में दर्ज की जा सकती है। शाला के अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे प्रत्येक छात्र के स्वास्थ्य का रिकार्ड रखे और इसकी प्रतिलिपि अभिभावकों को भेजे। शासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में बच्चे टाटपट्टी पर बैठते हैं और अशासकीय शालाओं में भी बच्चों के लिए टेबिल कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए। शासकीय शालाओं में फेरी बालों पर ध्यान नहीं दिया जाता इसलिए वे बिना ढकी हुई खाद्य सामग्री छात्रों को बेचते रहते हैं।

अशासकीय शालाओं में फेरी बालों पर ध्यान दिया जाता है और ऐसी कोई भी

खाद्य सामग्री बेचने वाले को शाला के पास खडे नही होने दिया जाता है जो कि बिना ढकी हुई खाद्य सामग्री बेचते है। स्वास्थ्य एव शारीरिक शिक्षा के द्वारा बच्चो मे शारीरिक निपुणता, प्रगति और मानसिक जागृति लाकर उनके आचरण और व्यक्तिगत का विकास किया जा सकता है। प्रगति और स्वास्थ्य—जीवन जीने के योग्य बनाया जा सकता है। बच्चो मे शारीरिक शिक्षा के द्वारा अच्छे नागरिक बनने की योग्यता उत्पन्न की जा सकती है।

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद अधिगम प्रक्रिया के अनिवार्य अंग होने चाहिए तथा शिक्षार्थी की कार्यक्षमता का मूल्याकन करते हुए इन्हे भी ध्यान मे रखना चाहिए ताकि स्वास्थ्य समुदाय का निर्माण हो सके सभी स्तरों पर चिकित्सा सबधी निरीक्षण और जाच अनिवार्य कर देना चाहिए बच्चो मे साफ—सुथरा रखने मानसिक सतुलन बनाए रखने, भावनात्मक स्वास्थ्य और स्वाथ्य सामुदायिक रहन—सहन की आदतों का विकास करने को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। स्वास्थ्य एव शारीरिक शिक्षा के लिए छपी हुई सामग्री होना चाहिए। ताकि सभी खेलों का ज्ञान प्रदान किया जा सके। सभी शालाओ मे स्वास्थ्य एव शारीरिक शिक्षा के लिए पर्याप्त बजट हो और खिलाडियों को उत्साहित किया जाये।

